मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

सरकार बनाम रमेश

किस्म मुकदमा 53/88, 188 RTA मु० नं० 92/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.10.24	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व उभय पक्ष की बहस के तर्कों पर गौर किया गया। वादीगण ग्राम बालनवाड़ा के खाता सं. 186 (सं. 2069-70) में अपने मृतकपिता रामचन्द्र पि. नारायण की संयुक्त खातेदारी भूमि में अपने हकों की उद्घोषणा के साथ बंटवारा का अनुतोष चाहा है। विधिक प्रावधानों अनुसार Recorded tenant ही विभाजन वाद लाने हेतु अधिकृत हैं। रामचन्द्र पि. नारायण का विरासतन नामान्तरण दर्ज होने से शेष है। उपतहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के रामचन्द्र पि. नारायण के विरासतन नामान्तरण को एक माह में निर्णित करें। विभाजन पश्चात वादीगण बंटवारा वाद पुनः लाने हेतु स्वतंत्र हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (कृष्णकांत सिंह) 8.10.24	